सं.-पी/आगरा/राज./चिकित्सा/सीएमपी

दिनांक:-31.01.2025

संविदा के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार

उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में 02 (दो) संविदा चिकित्सकों (General Duty Medical Officer) को एक वर्ष की अवधि के लिये अनुबन्ध के आधार पर पूर्णकालिक तौर पर अनुबन्ध करने हेतु निम्नलिखित विवरण के आधार पर ओपन मार्केट के चिकित्सकों एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भा०रे०चिकित्सा सेवा (रेलवे) के सेवानिवृत्त चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्तियों की संख्या-02

क सं	विशेषता	पदों की	कार्य स्थान
		संख्या	
01	संविदा चिकित्सकों	02	आगरा मंडल के अधिकार क्षेत्र का कोई भी रेलवे अस्पताल
	(General Duty	9	या रेलवे स्वारथ्य इकाई। आगरा, मथुरा जं0 आदि।
	Medical Officer)		

रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

सामान्य-01, अन्य पिछडा वर्ग-01, अनुसूचित जाति-निल, अनुसूचित जनजाति-निल, = कुल-02

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 2018/Trans.Cell/Health/Medical/Issues दिनांक 24.08.2018 के अनुसार ओपन मार्केट के संविदा चिकित्सकों (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भ0रेलवे चिकि०सेवा के अलावा) के लिए एन्ट्री लेवल आयु सीमा 53 वर्ष है। ऐंगेज किये गये संविदा चिकित्सकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष या कॉन्ट्रक्ट की 12 टर्म तक (जो भी पहले हो) होगी।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भा० रे० चिकि० सेवा के सेवानिवृत्त चिकित्सकों को अनुबन्धित करने के लिए आयु सीमा 67 वर्ष है।

कॉन्ट्रेक्ट की अवधि को आवश्यकता होने पर एक वर्ष के बाद साल दर साल के आधार पर बढाया जा सकता है।

प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं चिकित्सा परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान-

प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं	दिनांक	समय	स्थान
चिकित्सीय परीक्षण	14.02.2025 (शुक्रवार)	प्रातः 10-00 बजे	मंडल रेल प्रबन्धक, कार्यालय कार्मिक शाखा, आगरा

अभ्यर्थी अपना आवेदन दो प्रतियों में दिनांक 14.02.2025 को प्रातः 10–00 बजे तक निर्धारित संलग्न प्रारूप पर उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करेंगे। इच्छुक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित तिथि, समय एवं स्थान पर प्रत्यक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। अधिसूचना की प्रति उत्तर मध्य रेलवे के वेबसाइट

www.ncrindianrailways.gov.in>aboutus>Division>Agradivsion>Medical से डाउनलोड की जा सकती है।

(दिनेश कुमार श्रीवास्तव) सहायक कार्मिक अधिकारी–।। कृते मंडल रेल प्रबन्धक (कार्मिक) उ०म०रेलवे, आगरा सं.-पी/आगरा/राज./चिकित्सा/सीएमपी

दिनांक:-31.01.2025

संविदा के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार

1— उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में 02 (दो) संविदा चिकित्सकों (General Duty Medical officer) को एक वर्ष की अवधि के लिये अनुबन्ध के आधार पर पूर्णकालिक तौर पर अनुबन्ध करने हेतु निम्नलिखित विवरण के आधार पर ओपन मार्केट के चिकित्सकों एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भा०रे0चिकित्सा सेवा (रेलवे) के सेवानिवृत्त चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

2-रिक्तियों की संख्या-02

		· _ 0	कार्य स्थान
क स	विशेषता	पदों की	प्राप स्थान
	, ,	संख्या	ं े - ने भी नेनवे असावाल
01	संविदा चिकित्सकों	02	आगरा मंडल के अधिकार क्षेत्र का कोई भी रेलवे अस्पताल
	(General Duty		या रेलवे स्वास्थ्य इकाई। आगरा, मथुरा जं० आदि।
	Medical Officer)		7

3-रिक्तियों का विवरण-

सामान्य-01, अन्य पिछडा वर्ग-01, अनुसूचित जाति-निल, अनुसूचित जनजाति-निल, = कुल-02

4–प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं चिकित्सा परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान–

इच्छुक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित तिथि, समय एवं स्थान पर प्रत्यक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है।

प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं	दिनांक	समय		. स्थान
चिकित्सीय परीक्षण	14.02.2025 (शुक्रवार)	प्रातः 10.00	बजे	मंडल रेल प्रबन्धक, कर्यालय कार्मिक शाखा, आगरा

5-अभ्यर्थियों को निर्देश-

- (i) अभ्यर्थी अपना आवेदन दो प्रतियों में दिनांक 14.02.2025 को प्रातः 10.00 बजे तक निर्धारित संलग्न प्रारूप पर उक्त स्थान पर प्रस्तुत करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों का मेडीकल परीक्षण साक्षात्कार के उपरान्त आयोजित किया जायेगा। चयनित उम्मीदवारों को नोटराइज्ड कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट जमा करना होगा। इस संबंध में दिशा—निर्देश अभ्यर्थी के ऑफर ऑफ इंगेजमेन्ट में उल्लेखित कर दिया जायेगा।
- (ii) अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने या अन्य किसी कारणवश अभ्यर्थियों का साक्षात्कार निर्धारित तिथि पर संपन्न नहीं हो पाता है तो उसका साक्षात्कार अगले कार्य दिवस पर लिया जायेगा। तद्नुसार अभ्यार्थियों को दो—तीन दिन रूकने हेतु स्वयं की व्यवस्था करके आना चाहिए।

6-मानदेय-

(i) ओपन मार्केट के डाक्टरों (सेवानिवृत रेलवे डाक्टरों के अलावा) को देय मानदेय—

यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं काराया जाता है तब रु. 95000/— जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर प्रति माह यदि सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है तो हाउसरेंट एलाउंस एवं लाइसेंस फीस के बराबर की रकम कटौती की जायेगी।

लगातारपेज-2



(ii) <u>केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भ0रे0चिकि0सेवा (रेलवे) के सेवानिवृत्त चिकित्सकों को देय मानदेय:</u>—

यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब रुपये 95000 / – (वशर्ते कि मानदेय + सेवानिवृत्त डाक्टरों द्वारा प्राप्त किये जाने वाली पेंशन उनके अंतिम वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिये)। यदि सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है तो ग्रुप 'ए' किनष्ट वेतनमान के अधिकारियों को देय हाउसरेंट एलाउंस और रेलवे आवास के लाइसेंस फीस के बराबर की रकम की कटौती सीएमपी के मासिक मानदेय से की जायेगी।

7- आयु सीमा-

- (i) ओपन मार्केट के चिकित्सकों (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भ0रेलवे चिकि०सेवा के अलावा) की आयु दिनांक 14.02.2025 को 53 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐंगेज किये गये चिकित्सकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष या कॉन्ट्रक्ट की 12 टर्म तक (जो भी पहले हो) होगी।
- (ii) केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / भा० रे० चिकि० सेवा के सेवानिवृत्त चिकित्सकों को अनुबन्धित करने के लिए आयु सीमा 67 वर्ष है।
- (iii) कॉन्ट्रेक्ट की अवधि को आवश्यकता होने पर एक वर्ष के बाद साल दर साल के आधार पर बढाया जा सकता है।

8-नियम एवं शर्ते-

- (i) ओपन मार्केट के चिकित्सकों (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भ0रेलवे चिकि०सेवा के अलावा) हेतु— रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 2018/Trans.Cell/Health/Medical Issues दिनांक 24.08.2018 एवं समय—समय पर प्रचलित नियमों के अर्न्तगत डॉक्टरों का अनुबन्ध प्रारम्भ में एक वर्ष के लिये होगा, जो प्रशासनिक जरूरत के आधार पर एवं सीएमपी के कार्य क्षमता के आधार पर वर्षवार 65 वर्ष तक अथवा अधिकतम 12 (बारह) वर्ष (जो भी पहले हो) तक बढाया जा सकता है। इसके साथ ही इन डॉक्टरों की सेवायें एक वर्ष की अविध से पूर्व भी 15 दिन के नोटिस द्वारा दोनों में से किसी भी पक्ष की तरफ से समाप्त की जा सकती है। रेलवे प्रशासन द्वारा 15 दिनों की नोटिस की परिस्थिति में तत्काल प्रभाव से 15 दिन के बराबर मानदेय दिया जा सकता है। करार के आधार पर इन डॉक्टरों द्वारा दी गयी सेवायें एक वैकल्पिक व्यवस्था है और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चयन के मामले में इस अविध को कोई महत्व नहीं दिया जायेगा। इससे रेल सेवा में नियमित अथवा समाहित होने का अधिकार भी उसकी संविदा समाप्त कर दी जायेगी । प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमित नहीं हैं।
- (ii) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भा०रे०चिकि०सेवा के सेवानिवृत्त चिकित्सकों हेतु— रेलवे बोर्ड के पत्र सं० 2018/Trans.Cell/Health/Medical Issues दि० 24.08.2018, 2013/E(GR)II/I/5 दि. 11.10.2019 एवं समय—समय पर प्रचलित नियमों के अनुसार सेवानिवृति डॉक्टरों का सीएमपी के रूप में अनुबन्ध प्रारम्भ में एक वर्ष के लिये होगा, जो प्रशासनिक जरूरत के आधार पर एवं सीएमपी के कार्य क्षमता के आधार पर नियमानुसार 67 वर्ष की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक टर्म की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा प्रत्येक टर्म के लिए नया अनुबन्ध किया जायेगा । अनुबन्ध की तिथि से अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष अथवा कम होगी । अनुबन्ध की अवधि किसी भी आधार पर आगे नहीं बढ़ाई जायेगी यद्यपि रेलवे प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह केन्द्र सरकार/राज्य सरकार /भा०रे०चिकि०सेवा रेलवे के सेवानिवृत चिकित्सकों को दूसरी बार नई संविदा हेतु नियोजन करने हेतु विचार करे। यह अनुबन्ध पूर्णतः निविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए या नियमित डॉक्टर के ज्वाइन करने तक अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार भरेचिकि.से. (रेलवे) के सेवानिवृत— चिकित्सकों के पास अपनी सेवाओं. को निरन्तर करने अथवा टर्म को स्वतः आगे बढ़ाने संबंधी कोई दावा इत्यादि करने का

लगातारपेज-3



किसी भी तरह का अधिकार नहीं होगा। संविदा की वैधता की अविध में संविदा के आधार पर डॉक्टरों को संविदा अविध में किसी समय यह छूट होगी कि वह अपने कैरियर की बेहतरी के लिए अथवा अन्य किसी आधार पर रेलवे प्रशासन को 15 दिन की अग्रिम सूचना देकर संविदा खत्म कर सकता है। रेलवे प्रशासन भी संविदा की अविध के दौरान किसी भी समय 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर डॉक्टरों को विना किसी कारण को परिभाषित किए संविदा की समाप्ति कर सकता है। यदि कोई सीएमपी मानसिक या शारीरिक रुप से अक्षम पाया जाता है तो उस समय भी उसकी संविदा समाप्त कर दी जायेगी।

9- प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है।

10- आवश्यक सूचना-

- (i) करार के आधार पर नियुक्त डॉक्टर आधिकारिक रूप से रेलवे क्वार्टर के हकदार नहीं होगें, फिर भी आवासों की उपलब्धता पर उन्हें आवास की व्यवस्था की जा सकती है परन्तु नियमानुसार रेल आवास किराये व लाईसेंस फीस आदि की वसूली की जायेगी। रेलवे के साथ करार के दौरान उनकी ड्यूटी के संबंध में विस्तृत निर्देश उनके चयनित हो जाने पर नियुक्ति पत्र के साथ दिया जायेगा।
- (ii) इच्छुक अभ्यर्थी प्रत्यक्ष साक्षात्कार के समय अपना आवेदन पत्र सभी प्रमाण पत्रों एवं अंकपत्रों की मूल प्रतियों के साथ संलग्न प्रोफार्मा में पूर्ण रूप से भरकर साथ लायें। साथ में सभी प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित एक—एक छायाप्रति भी साथ में लायें। साक्षात्कार के लिए कोई दैनिक महंगाई/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। आवेदक का जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप पर होना चाहिए तथा आवेदक को मेडीकल काउन्सिल ऑफ इन्डिया/स्टेट मेडीकल काउन्सिल से पंजीकृत होना चाहिए। साक्षात्कार में आने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।
- (iii) चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में नियुक्ति का प्रस्ताव विभिन्न स्थानों पर स्थित चिकित्सालयों/स्वस्थ्य ईकाइयों की रिक्ति "जहाँ है वहाँ के आधार पर" की जायेगी। प्रशासनिक आवश्यकतानुसार नियुक्ति स्टेशन में परिवर्तन के अधिकार को प्रशासन सुरक्षित रखता है।
- (iv) अधिसूचना की प्रति उत्तर मध्य रेलवे के वेबसाइट <u>www.ncrindianrailways.gov.in></u> aboutus>Division>Agra Division>Medical से डाउनलोड की जा सकती है।
- (v) सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पैनल अनुमोदन के उपरान्त उत्तर मध्य रेलवे की बेवसाइट www.ncrindianrailways.gov.in>aboutus>Division>Agra Division>Medical पर पैनल अपलोड किया जायेगा।
- 11— उपयुक्त पाये गये उम्मीदवार को स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पत्र/टेलीफोन/ईमेल/व्हाट्सएप/ एसएमएस के द्वारा रेलवे अस्पताल आगरा में रिपोर्ट करने हेतु निर्धारित तिथि आदि की सूचना दी जायेगी। जो उम्मीदवार निर्धारित समय या तिथि पर रिपोर्ट नहीं करेगा वे अपना संविदा का अवसर खो देंगें और उनके स्थान पर अगले एम्पैनल्ड अभ्यर्थी को संविदा पर लेने हेतु प्रस्ताव दिया जायेगा।

(दिनेश कुमार श्रीवास्तव) सहायक कार्मिक अधिकारी–।। कृते मंडल रेल प्रबन्धक (कार्मिक) उ०म०रेलवे, आगरा

संविदा के आधार पर अनुबन्ध हेतु साक्षात्कार के लिए ओपन मार्केट के चिकित्सकों एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भा.रे.चिकि.सेवा. रेलवे के सेवानिवृति चिकित्सकों के आवेदन का प्रारूप ।

सीएमपी—जनरल ड्यूटी (कृपया स्पष्ट लिखें)				नवीनतम पासपोर्ट साईज स्वयं प्रमाणित फोटो
मण्डल रेल प्रबन्धक (का उ०म०रे०, आगरा।	र्मिक)			
1. नाम स्पष्ट अक्षरों में		7 '		
2. पिता / पति का नाम	स्पष्ट अक्षरो में			
3. स्थाई पता ————	·			
4. पत्राचार का पता —				
मोबाइल नं0	व्हाटसएप	नं0	ईमेल आईडी	
5. जन्म तिथि ————	दिनांक	14.02.2025 को आयु	दिनमाह	वर्ष
6. किस कोटि से हैं लिर				
7. राष्ट्रीयता ————- 8. शैक्षिक / व्यवसायिक र				· -
परीक्षा	परीक्षा उत्तीर्ण	मेडिकल	अटेम्पट्स की	प्राप्तांकों का
T (IAII)	करने का वर्ष	कॉलेज / विश्वविद्यालय का नाम		प्रतिशत
हाई स्कूल/समकक्ष		कॉलेज / विश्वविद्यालय		प्रतिशत
	करने का वर्ष	कॉलेज / विश्वविद्यालय		प्रतिशत
हाई स्कूल/समकक्ष	करने का वर्ष	कॉलेज / विश्वविद्यालय		प्रतिशत
हाई स्कूल/समकक्ष इण्टरमीडिएट/समकक्ष	करने का वर्ष	कॉलेज / विश्वविद्यालय		प्रतिशत
हाई स्कूल/समकक्ष इण्टरमीडिएट/समकक्ष एमबीबीएस पार्ट-I	करने का वर्ष	कॉलेज / विश्वविद्यालय		प्रतिशत
हाई स्कूल/समकक्ष इण्टरमीडिएट/समकक्ष एमबीबीएस पार्ट–I एमबीबीएस पार्ट–II एमबीबीएस पार्ट–III एमबीबीएस पार्ट–IV	करने का वर्ष	कॉलेज / विश्वविद्यालय		प्रतिशत
हाई स्कूल/समकक्ष इण्टरमीडिएट/समकक्ष एमबीबीएस पार्ट–I एमबीबीएस पार्ट–II एमबीबीएस पार्ट–III	करने का वर्ष	कॉलेज / विश्वविद्यालय		प्रतिशत
हाई स्कूल/समकक्ष इण्टरमीडिएट/समकक्ष एमबीबीएस पार्ट—II एमबीबीएस पार्ट—III एमबीबीएस पार्ट—IV एमबीबीएस में एग्रीगेट प्रतिशत	करने का वर्ष	कॉलेज / विश्वविद्यालय		प्रतिशत
हाई स्कूल/समकक्ष इण्टरमीडिएट/समकक्ष एमबीबीएस पार्ट—II एमबीबीएस पार्ट—III एमबीबीएस पार्ट—IV एमबीबीएस पार्ट—IV एमबीबीएस में एग्रीगेट प्रतिशत	करने का वर्ष	कॉलेज / विश्वविद्यालय		प्रतिशत
हाई स्कूल/समकक्ष इण्टरमीडिएट/समकक्ष एमबीबीएस पार्ट—II एमबीबीएस पार्ट—III एमबीबीएस पार्ट—IV एमबीबीएस में एग्रीगेट प्रतिशत	करने का वर्ष	कॉलेज / विश्वविद्यालय का नाम	संख्या	प्रतिशत
हाई स्कूल/समकक्ष इण्टरमीडिएट/समकक्ष एमबीबीएस पार्ट—II एमबीबीएस पार्ट—III एमबीबीएस पार्ट—IV एमबीबीएस पार्ट—IV एमबीबीएस में एग्रीगेट प्रतिशत पीजी (एमडी/एमएस /डिप्लोमा)	करने का वर्ष	कॉलेज / विश्वविद्यालय का नाम	के है यदि हॉ, तो	पूर्ण विवरण दें।
हाई स्कूल/समकक्ष इण्टरमीडिएट/समकक्ष एमबीबीएस पार्ट—II एमबीबीएस पार्ट—III एमबीबीएस पार्ट—IV एमबीबीएस पार्ट—IV एमबीबीएस में एग्रीगेट प्रतिशत पीजी (एमडी/एमएस /डिप्लोमा)	करने का वर्ष में संविदा चिकित्सक 	कॉलेज / विश्वविद्यालय का नाम	के है यदि हॉ, तो	पूर्ण विवरण दें।

लगातार पेज–2



पेज-2

12. संलग्न प्रमाण-पत्रों का विवरण-

- I) हाल ही के पासपोर्ट आकार का एक फोटो।
- II) जन्मतिथि के लिय प्रमाण-पत्र हाईस्कूल/समकक्ष का प्रमाण-पत्र
- III) सामान्य ड्यूटी अभ्यार्थियों द्वारा एमबीबीएस की डिग्री एवं अंक पत्र सभी भाग तथा यदि कोई अन्य उच्चतर मेडिकल योग्यता हो तो उसकी डिग्री प्रमाण–पत्र ।
- IV) इन्टर्नशिप प्रमाण-पत्र
- V) भारत / राज्य के चिकित्सा परिषद का रिजस्ट्रेशन संख्या
- VI) हाउस जॉब प्रमाण -पत्र, यदि हो तो।
- VII) सेवानिवृत्त रेलवे डाक्टर के मामले में सत्यापित पीपीओ की प्रति।
- VIII) जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप में।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन में दिये गये सभी विवरण सत्य, पूर्ण तथा मेरी जानकारी व विश्वास से सही हैं। मैं यह जानता/जानती हूं कि यदि यहाँ दी गयी जानकारियों में से कोई भूल से गलत हो या मैंने कुछ छिपाया हो तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी और मेरे विरूद्ध सिविल आपराधिक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

मैं यह जानता / जानती हूं कि मैं इस साक्षात्कार के लिये किसी भी यात्रा / मंहगाई भत्ते का हकदार नहीं हूं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान	 	 		•		•	•	•
दिनांक	 	 		•	 •			

नोट— यह आवेदन साक्षात्कार के समय दिया जा सकता है। साक्षात्कार तीन अधिकारियों द्वारा लिया जायेगा तथा आवेदन अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा, जिस पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

NORTH CENTRAL RAILWAY, AGRA

No.P/Agra/Gaz./Medical/CMP

Dated: 31.01.2025

WALK-IN-INTERVIEW FOR DOCTORS

North Central Railway Agra Division intends to engage total number of 02 (Two) full-time Contract Medical Practitioner (General Duty Medical Officer) on Contract basis from open market doctors or retired doctors from central government or State government or Indian Railway Medical Service (IRMS) for a duration of one year as per details given below-

Number of vacancies-02

SN	Specialty		Place of posting Any Railway Hospital or Railway Health Unit in the
1	CMP (GDMO)	02	Any Railway Hospital of Ra

Details of vacancies- 02

UR-01, OBC- 01, SC-Nil, ST- Nil, TOTAL-02

As per Railway Board letter no.2018/Trans.Cell/Health/Medical/Issues dt 24.08.2018 the maximum age limit to engage as CMP from open market is 53 years. The maximum age limit of engaged CMP is 65 years or up to 12 terms of contract (whichever is earlier). Age limit for engagement of retired doctors from central government or State government or Indian Railway Medical Service (IRMS) is 67 years. If required, Contract may be extend on a year to year basis.

Date, time & venue of Walk-in-Interview & Medical Examination -

The interested candidates can appear in the walk-in-interview followed by Medical Examination, at the following venue as per time and date indicated below.

Walk-in-Interview & Medical Examination	Date 14.02.2025	Venue Personnel Branch, DRM Office/Agra
Wodrou.		DRM Office/Agra

Medical examination of candidates will be held simultaneously along with walk-in-interview. Candidate must submit their applications in duplicate on the prescribed and enclosed proforma latest by 10.00 A.M. on 14.02.2025 at the respective venue mentioned above. The notification can be downloaded from NC Railway website www.ncrindianrailways.gov.in>Aboutus >Division>Agra Division>Medical.

> (Dinesh Kumar Shrivastava) Assistant Personnel Officer-II for Divisional Railway Manager (P) N.C. Railway, Agra

NORTH CENTRAL RAILWAY

No.P/Agra/Gaz./Medical/CMP

WALK-IN-INTERVIEW FOR DOCTORS

1- North Central Railway Agra Division intends to engage total number of 02 (Two) full-time Contract Medical Practitioner (General Duty Medical Officer) on Contract basis from open market doctors or retired doctors from central government or State government or Indian Railway Medical Service (IRMS) for a duration of one year as per details given below-

2- Number of vacancies-02

	4		•
SN	Specialty	Vacancy	Place of posting
1	CMP (GDMO)	02	Any Railway Hospital or Railway Health Unit in the jurisdiction of Agra division. (Agra, Mathura Jn. etc.)

3- Details of vacancies- 02

UR-01, OBC- 01, SC-NIL, ST- NIL, TOTAL-02

4- Date, time & venue of Walk-in-Interview & Medical Examination -

The interested candidates can appear in the walk-in-interview followed by Medical Examination, at the following venue as per time and date indicated below.

		T:	Venue
Walk-in-Interview & Medical Examination	Date 14.02.2025	10.00 AM	Personnel Branch, DRM Office/Agra
	A		

5- Instructions for candidates-

- (i) Candidate must submit their applications in duplicate on the prescribed and enclosed proforma latest by 10.00 A.M. on 14.02.2025 at the respective venue mentioned above. Medical examination of candidates will be held after walk-in-interview. Selected candidates shall have to submit a notarized Contract Agreement. Instructions in this regard shall be informed in the offer of appointment to the candidates.
- (ii) In case the number of candidates are more and they cannot be interviewed/ medically examined on the nominated day, they will be interviewed/medically examined on the next working day/days. As such, if needed, the candidates should make their own arrangement for stay for a period of two or three days and come with the preparation accordingly.

6- (i) Remuneration for other than Retired Railway Doctors-

Rs. 95,000/- for General Duty Medical Doctor per month fixed if Govt. accommodation is not provided. If Railway accommodation is provided an amount equivalent to the sum of House Rent Allowance and License Fee of the accommodation provided will be deducted as per rule.

Contd. On Page No..2

Dated: 31.01.2025



(ii) Remuneration for Retired Railway Doctors –

Rs. 95,000 per month fixed (Subject to the condition that Remuneration + Pension drawn by Retired Railway Doctor should not exceeded the last pay drawn), if Government accommodation is not provided. If Railway accommodation is provided an amount equivalent to House Rent Allowance payable to a fresh entrant to Group 'A' junior scale officer and license fee of the Railway accommodation, so provided shall be deducted from the monthly Remuneration payable to the CMP.

7- Age limit-

- (i) As per Railway Board letter no.2018/Trans.Cell/Health/Medical/Issues dt 24.08.2018 the entry level age limit of candidates for appointment as CMP from open market is 53 years. The maximum age limit for engaged CMP will be 65 years or up to 12 terms (whichever is earlier).
- (ii) Age limit for engagement of retired doctors from central government or State government or Indian Railway Medical Service (IRMS) is 67 years.
- (iii) If required, Contract may be extend on a year to year basis.

8- Term and Conditions

(i) For Open market doctors (other than retired doctors from central government or State government or Indian Railway Medical Service (IRMS)-

In terms of Railway board letter no. 2018/Trans.Cell/Health/Medical Issues dt. 24-08-2018 The engagement of Doctors would be on Contract basis initially for a period of 01 year, which is extendable on annual basis up to a maximum period of 12 years as per administrative requirements on the basis of assessment of performance of CMP's. The engagement shall purely be on contract basis for a period 01 year or till the regular incumbent joins or Railway Doctors attaining the age of 65 years, whichever is earlier. However, the service of these Doctors can be terminated before the expiry of 01 year after giving 15 days notice on either side. Railway administration will be at liberty to terminate the contract of the Doctor with immediate effect by paying honorarium in lieu of 15 days notice period, if the circumstances so warrant. The service rendered as Contract Doctor is a stop gap arrangement and will not have any bearing in respect of consideration of their period in case of their subsequent regular selection through UPSC. It will also not confer upon any right for regularization or permanent absorption in the Railway.

(ii) For retired doctors from central government or State government or Indian Railway Medical Service (IRMS)-

In terms of Railway board letter no. 2018/Trans.Cell/Health/Medical Issues dated 24-08-2018 and L.N. 2013/E(GR) II/I/5 dated 11.10.2019, the engagement of Retired Doctors as CMP's shall be for a maximum of 01 year each and for each term of 01 year a fresh contract shall be entered. The contract shall be entered in to for a period of 01 year or less from the date of entering into the contract. Period of contract shall not be extendable on any ground. However, the Railway Administration shall reserve the right to enter into fresh contract with the Retired Doctors for another term. The engagement shall purely be on contract basis for a period 01 year or till the regular incumbent joins or on the Retired Doctors attaining the age of 67 years, whichever is earlier. The Retired Doctors engaged as Contract Medical Contd. On Page No..3-

Page No.-3

Practitioner shall not have any claim or right for his/ her continuity in service or automatic extension of the term of contract. During the validity of the contract, the CMP shall be at liberty to terminate the contract for betterment of his/ her career or on any other grounds by given 15 days notice to the Railway. The contract can also be terminated by the Railway at any time during the contract by giving 15 days notice without assigning any reason what so ever. Contract shall also be terminated, if the CMP is found to be mentally or physically incapacitated.

9- Private Practice is not allowed.

10- Essential information-

- (i) The Contract Doctors shall not be entitled to Railway Quarter etc. as a matter of right. However, if such a quarter is available, they will be provided accommodation. The detailed instructions with regard to their duties while on contract with the railway shall be given to them in the event of their selection along with the offer of engagement.
- (ii) Willing candidates should bring their application form with Original and self attested copies of all certificates and mark sheets duly filled up on the prescribed format with them. Caste certificate of applicant should be on the prescribed formate for the services of Government of India and applicant should be registered with Medical Council of India/ State Medical council.

No TA/DA is admissible for this interview.

(iii) The offer of engagement to the selected Candidates shall be issued subject to the availability of vacancy as per requirement in Hospitals/Health Units located at different stations on 'as is where is basis'. Administration has right to change the place of posting as per administrative needs. website Railway

from NC downloaded be notification can www.ncrindianrailways.gov.in>Aboutus>Division>Agra Division>Medical. (iv) The

- (v) After approval of the panel by competent authority, the panel will be uploaded at NCR's website www.ncrindianrailways.gov.in>About us>Division>Agra Division> Medical
- (10) The suitable candidates will be called through speed post/Registered letter/Telephone call/Whatsapp/email/SMS to report to a particular fixed date at Divisional Hospital/NC Rly Agra cantt for posting. The candidates who do not report at the assigned date and time will forfeit their chance of contract engagement and such engagement will be offered to the next empanelled candidates.

(Dinesh Kumar Shrivastava) Assistant Personnel Officer-II for Divisional Railway Manager (P) N.C. Railway, Agra

Application format for walk-in-interview for Retired Railway Doctors/ Other than Retired Railway Doctors for engagement of CMP

Kind					
	ly indicate)			Γ,	atest Passport size
The I	Divisional Railway Manag	er (P)		. p	hotograph of
Nortl	n Central Railway, Agra			а	andidate duly self ttested half on hoto and half on
1.	Name (In Block letters)			a	pplication.
2.	Fathers/Husband's Nam	e (In Block lette	rs)		
3.					
4.					
	 Mobile No		p Mobile no	e-mail -	
	ID				
5.	Date of Birth		(days	months	
6.	Category to which belo	ngs ie,. UR/OBC	C/SC/ST (Please write)		
	•				
7.	Nationality				
7. 8	Nationality Educational/Profession	al qualifications			
7. 8.	Educational/Profession	al qualifications	Medical College/University		
	Educational/Profession Examination	al qualifications			
	Educational/Profession	al qualifications			
	Educational/Profession Examination High School/Equivalent	al qualifications			
	Educational/Profession Examination High School/Equivalent Intermediate/Equivalent	al qualifications			
	Educational/Profession Examination High School/Equivalent Intermediate/Equivalent MBBS Part-I	al qualifications			Percentage of Mar
	Educational/Profession Examination High School/Equivalent Intermediate/Equivalent MBBS Part-I MBBS Part-II	al qualifications			
	Educational/Profession Examination High School/Equivalent Intermediate/Equivalent MBBS Part-I MBBS Part-II MBBS Part-III	al qualifications			

Reserve

10.	Registration No. of Medical councilState where registered
11.	Experience, if any
12.	Self Attested documents alongwith the originals are as under-
(i)	One recent passport size photograph.
(ii)	Certificate indicating the date of birth (High School/Equivalent certificate)
(iii)	MBBS degree with mark sheet (All parts) and certificate of any higher medical qualifications, if any,
	of recognized university. (For the candidates applied for General Duty Doctors)
(iv)	
(v)	Registration certificate for medical council of state/India.
,	House Job certificates, if any.
(vi	i) Attested copies of Pension Payment Order (PPO) in case of Retired Railway Doctors only.
	iii)Caste certificate on prescribed format for Govt. of India.
inco	I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the of my knowledge and belief. I understand that in the event of an information given herein, is found false or concealed, the contract will be liable to be terminated and any civil/criminal legal action can be a against me for this. I understand that I am not eligible for any TA/DA for this interview.
Plac Date	Signature of the Candidate

Note: This application can be given at the time of walk-in-interview. It will thereafter be screened by the three member committee of officers for taking interview and kept in record for subsequent processing.

